

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छब्बीस'

[18/3/2016]

प्रश्न सं. [क. 5796]

का नाम	निकाय का नाम	निकाय में कार्यरत् कुल दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या जिनका सेवाकाल 10 वर्ष से 25 वर्ष पूर्ण होने पर नियमित नहीं किया गया है	ऐसे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या जिनका सेवाकाल 10 वर्ष से 25 वर्ष पूर्ण होने पर नियमित नहीं किया गया है	रिपार्क
2	3	4	5	6
—“—	न.पा.विदिशा	522	290	पद रिक्त ना होने के कारण
—“—	न.पा.गंजवासीदा	निरंक	निरंक	—
—“—	न.पा.प्रियोज	173	34	<p>म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र.एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.02.2008, 06.09.2008 में दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण तरह करने वाले 13 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित प्रावधानों के तहत नियमितकरण किया जा चुका है।</p>
—“—	न.प.लटेरी	126	12	<p>म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र.एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.02.2008, 06.09.2008 में दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले 10 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित प्रावधानों के तहत नियमितकरण किया जा चुका है। इस नियमितकरण आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है।</p> <p style="text-align: right;"></p>

न.प.कुरवाहा ^८	67	2	म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र.एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.02.2008, 06.09.2008 में दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने वाले मात्र 01 दैनिक वेतन शेंगी कर्मचारियों को निर्धारित प्रावधानों के तहत नियमितिकरण किया गया है।
न.प.शमशाबाद ^९	52	नियंत्रक	म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र.एफ-5-3/2006/1/3 दिनांक 16 मई 2007 एवं समसंख्यक ज्ञाप दिनांक 08.02.2008, 06.09.2008 में दिये गये निर्देशों के तहत दिनांक 10.04.2006 की स्थिति में 10 वर्ष की सेवावधि पूर्ण करने के कारण पात्रता की श्रेणी में ना आने से ना करने के कारण पात्रता की श्रेणी में ना आने से नियमितिकरण की कार्यवाही नहीं की गई है।
कल योग	940	338	